

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .293 / 2017 .....जिला.....जालौर.....

उनवान – मोहम्मद खां पुत्र मिसरू खां निवासी खेतलावास तहसील सायला जिला जालौर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक बागौड़ा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री नत्थूराम, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ताओं स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2017, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या एक के विद्वान अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>निगरानीकर्ताओं ने दिनांक 12.12.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे निवेदन किया कि कर बोर्ड में चल रही निगरानी संख्या 293/17 मोहम्मद खां पुत्र मिसरू खां बनाम सरकार व अन्य में वर्तमान में सरकार की एमनेस्टी स्कीम के तहत, जिसका फायदा लेते हुए निर्धारित कर राशि जमा करवा दी है, इसलिये हम अब निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। कृपया उक्त निगरानी को विद्वान करने की अनुमति दिलावे। विभागीय पैरोकार ने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया है।</p> <p>अतः निगरानीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, निगरानी संख्या 293/2017/जालौर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p>	

( नत्थूराम )  
सदस्य